

## HAMIRPUR POLICE



## **METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION**

"प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना मुस्करा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 98/2007 धारा- 323,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **गयाप्रसाद काछी पुत्र शिवदयाल काछी** नि0 गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 **वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 10,000/-रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक श्री विजय सिंह



विवेचक-सीओ ए.के. सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार